

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 12(3) राज/वाद/99 पार्ट

जयपुर दिनांक 30/5/19

:: आदेश ::

श्री अनिल मेहता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर से प्राप्त उनके पत्र क्रमांक एजी/778 दिनांक 01.03.19 के कम पल्लवी मेहता, जूनियर अधिवक्ता के स्थान पर सुश्री अर्चना, अधिवक्ता (पंजीयन क्रमांक आर/995/2015) को उनके जूनियर अधिवक्ता के रूप में कार्य करने की सहमति प्रदान की जाती है।

**सामान्य शर्तें अनुबंध एवं पारिश्रमिक (फीस) निम्न प्रकार हैं:-**

1. जूनियर अधिवक्ता को श्री अनिल मेहता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर को प्रकरण में देय फीस (अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय मासिक रिटेनरशिप फीस को छोड़कर) की 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
2. वे किसी निजी पक्षकार अथवा अर्द्धसरकारी निकायों एवं निगमों का ऐसे किसी भी प्रकरण में ब्रीफ स्वीकार नहीं करेंगे, जिनसे राजकीय हित प्रभावित होते हो।
3. उक्त शर्तों के अलावा विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा समय - समय पर जारी सेवा शर्तों/ निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से,

ह0

(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. माननीय महाधिवक्ता, राजस्थान जयपुर।
2. श्री अनिल मेहता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर।
3. संबंधित अधिवक्ता।
4. विधि विभाग के समस्त विधि प्रकोष्ठ।
5. रक्षित पत्रावली।



(चंचल मिश्रा)

शासन सचिव, विधि